प्रेस विज्ञप्ति
27.07.2026

ईडी ने 103.42 करोड़ रुपये के इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में 32 आरोपियों के विरुद्ध 20,000 से अधिक पृष्ठों का अभियोजन शिकायत दायर किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में 32 आरोपियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20,000 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत अभियोजन शिकायत (पीसी) प्रस्तुत किया है। आरोपियों में ठेकेदार लाभार्थी, इंदौर नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा अपराध की आय को छिपाने, अपने कब्जे में रखने, लेयरिंग करने एवं उसके उपयोग में सहयोग करने वाले अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं।

ईडी ने यह जांच थाना एम.जी. रोड, इंदौर में दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी। इन एफआईआर में इंदौर नगर निगम के कोषागार से फर्जी बिल, जाली कार्यादेश (वर्क ऑर्डर), फर्जी मापन पुस्तिकाएं (मेजरमेंट बुक्स), झूठे पूर्णता प्रमाण-पत्र, कूटरचित नोटशीट एवं अन्य फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर उन कार्यों के नाम पर सार्वजनिक धन की धोखाधड़ीपूर्वक निकासी किए जाने का आरोप था, जो या तो कभी किए ही नहीं गए थे अथवा वास्तविक कार्यादेशों के तहत पहले ही पूर्ण किए जा चुके थे।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह सामने आया कि विभिन्न आरोपी ठेकेदार फर्मों ने इंदौर नगर निगम तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जाली कार्यादेश फाइलें एवं फर्जी बिल तैयार एवं संसाधित किए तथा इस प्रकार इंदौर नगर निगम के कोषागार से लगभग **103.42 करोड़ रुपये** की सार्वजनिक धनराशि का धोखाधड़ीपूर्वक गबन किया। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को नकद निकाला गया, जिसे ठेकेदारों, लोक सेवकों एवं अन्य लाभार्थियों में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि को व्यावसायिक लेन-देन का स्वरूप देकर संबंधित एवं संबद्ध संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया, अन्य धनराशियों के साथ मिलाया गया तथा चल एवं अचल संपत्तियों के अर्जन एवं व्यक्तिगत व्यय में उपयोग किया गया।

जांच के दौरान ईडी ने 05.08.2024 एवं 06.08.2024 को 20 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग **22.04 करोड़ रुपये** मूल्य की परिसंपत्तियां, जिनमें नकदी, बैंक खातों की शेष राशि, सावधि जमा (एफडी), डीमैट होल्डिंग्स एवं म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जब्त/फ्रीज की गईं। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए।

इसके उपरांत, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जारी दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 37.14 करोड़ रुपये मूल्य की 52 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां, आवासीय मकान, भूखंड तथा कृषि भूमि शामिल हैं। **इस प्रकार, अब तक इस मामले में लगभग 59.18 करोड़ रुपये**

मूल्य की परिसंपत्तियां कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज की जा चुकी हैं। जांच के दौरान ईडी ने घोटाले के कथित सरगना अभय सिंह राठौर के साथ-साथ मोहम्मद जाकिर एवं राहुल बडेरा को अपराध की आय के सृजन एवं धन शोधन में उनकी केंद्रीय भूमिका के कारण पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

ईडी द्वारा प्रस्तुत अभियोजन परिवाद में अन्य बातों के साथ-साथ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन में संलिप्त कुर्क, जब्त एवं फ्रीज की गई संपत्तियों के कॉन्फीसकेशन का भी अनुरोध किया गया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने आरोपियों को नोटिस/समन जारी कर दिए हैं तथा मामले को आगे की सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया है।